राष्ट्रपति का अभिभाषण क्यों मायने रखता है

लेखक - चक्षु रॉय (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

31 जनवरी, 2020

"राष्ट्रपति कोविंद आज संसद को संबोधित करेंगे। कुछ दिन पहले केरल के राज्यपाल ने सरकार द्वारा तैयार अपने विधानसभा अभिभाषण के एक प्रकरण पर अपनी राय व्यक्त की थी। इस आलेख में हम इससे जुड़े प्रावधानों और घटनाओं पर एक नजर डालेंगे।"

इस सप्ताह की शुरुआत में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य की विधानसभा को संबोधित किया था। अपने संबोधन के दौरान वे प्रकरण 18 को पढ़ने से पहले रुक गए, जो कि नागरिकता संशोधन विधेयक के लिए केरल सरकार के विरोध से संबंधित था। राज्यपाल ने कहा कि उनका विचार है कि यह प्रकरण नीति या कार्यक्रम से संबंधित नहीं था। उन्होंने कहा कि हालाँकि उनकी इस विषय पर 'आपत्तियाँ और असहमति' है लेकिन वह मुख्यमंत्री की इच्छा का 'सम्मान' करते हुए नीतिगत संबोधन के 18वें प्रकरण को पढ़ेंगे

संसद के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे।

राष्ट्रपति या राज्यपाल किन प्रावधानों के तहत् विधायिका को संबोधित करते हैं?

संविधान राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभिभाषण की शक्ति देता है। विशेष शक्ति दो अवसरों के संबंध में है। पहला, आम चुनाव के बाद एक नए विधानमंडल के उद्घाटन सत्र को संबोधित करना और दूसरा, प्रत्येक वर्ष विधायिका के पहले बैठक को संबोधित करना है। राष्ट्रपति या राज्यपाल का अभिभाषण एक संवैधानिक आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा किए बिना नए या निरंतर विधायिका का सत्र शुरू नहीं हो सकता है। जब संविधान लागू हुआ तो संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ी। इसलिए 1950 में अनंतिम संसद के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों सत्रों के लिए एक अभिभाषण दिया। स्पीकर जी.वी. मावलंकर के सुझाव पर 1951 में

राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण (अनुच्छेद 87)

- आम चुनावों के पश्चात राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन में एक साथ दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति अभिभाषण करता है अभिभाषण में सामान्यत: सरकार की नीतियों का वर्णन रहता है।
- राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नियम 1718 आदि के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में व्यापक चर्चा होती है परंतु इस चर्चा में राष्ट्रपति की प्रत्यक्ष आलोचना नहीं की जाती है।
- नियम 20 के तहत् अभिभाषण की चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर दिया जाता है प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है।
- नियम 247 के तहत् धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है।
- सदन में गणपूर्ति अनुच्छेद 100 के अंतर्गत सदन की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी व्यक्ति सहित कुल सदस्य संख्या का 1/ 10 भाग होगी।
- संसद की भाषा अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संविधान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार संसद का कार्य संचालन हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा परंतु अध्यक्ष किसी सांसद को मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, वर्तमान में संसद में आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में से 15 के अनुवादक कार्यरत हैं।
- नियम 15 सदन को एक बार अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बाद उसको पुन: बुलाने की शक्ति अध्यक्ष को प्राप्त है।
- सदन के स्थगन का किसी कार्य पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता परंतु सत्रावसान होने पर विधेयक प्रस्तुत करने की सूचना के अलावा अन्य सभी सूचनाएँ समाप्त हो जाती हैं।

पहले संवैधानिक संशोधन ने इस स्थिति को बदल दिया।

एक संवैधानिक आवश्यकता होने के अलावा राष्ट्रपति या राज्यपाल के अभिभाषण को इसलिए भी उत्सुकता से देखा जाता है क्योंकि यह सरकार के नीतिगत एजेंडे को रेखांकित करता है।

क्या अन्य देशों में भी यही समानताएँ हैं?

इसी तरह के प्रावधान अन्य लोकतंत्रों में भी मौजूद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे 'संघ के राज्य' के रूप में जाना जाता है। यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के एक अनुच्छेद से आया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, 'समय-समय पर कांग्रेस को संघ राज्य की जानकारी देते हैं और उनके विचार पर आवश्यक सलाह देते हैं।' यूनाइटेड किंगडम में इसे रानी के भाषण के रूप में जाना जाता है और यह संसदीय वर्ष की औपचारिक शुरुआत को चिह्नित करने के लिए एक समारोह का हिस्सा है। लेकिन दोनों प्रणालियाँ अलग-अलग हैं।

अमेरिकी प्रणाली में राष्ट्रपति के पास यह विकल्प है कि वह अपना लिखित भाषण व्यक्तिगत रूप से देने के बजाय कांग्रेस को भेज सकता है। वह अपने प्रशासन की स्थिति को भी सामने रख सकता है। ब्रिटिश प्रणाली में रानी का भाषण सरकार द्वारा लिखित होता है। वह इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपने सिंहासन से व्यक्तिगत रूप से पढ़ती है।

भारत में राष्ट्रपति का अभिभाषण ब्रिटिश प्रणाली पर अंकित है। संविधान के निर्माण के दौरान बी.आर अंबेडकर ने अंग्रेजी प्रणाली के तहत् राष्ट्रपति और सम्राट के बीच समानता का परिचय दिया था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति 'देश के प्रमुख हैं लेकिन कार्यकारी के नहीं। ये राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन राष्ट्र पर शासन नहीं करते है। ये राष्ट्र का प्रतीक हैं।

संविधान राष्ट्रपति और राज्यपाल को बहुमत के मुद्दों पर क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह देने के लिए बाध्य करता है। इसलिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल जिस अभिभाषण को विधायिका के समक्ष पढ़ते हैं वह सरकार का दृष्टिकोण है और सरकार द्वारा तैयार किया जाता है।

राष्ट्रपति या राज्यपाल के अभिभाषण का विषय क्या है?

संविधान के निर्माण के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के विषय में कुछ विशिष्टता लाने का असफल प्रयास किया गया था। राष्ट्रपति का भाषण ब्रिटिश प्रणाली के अभिसमय का अनुसरण करता है, जहाँ इसमें विधायी और नीतिगत प्रस्ताव शामिल होते हैं जिन्हें सरकार आरंभ करने का इरादा रखती है। भाषण पिछले वर्षों में सरकार की उपलब्धि को भी दोहराता है। भाषण के विषय को सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से इनपुट एकत्र करके एक साथ रखा जाता है।

यदि राष्ट्रपति भाषण के पाठ से असहमत हैं, तो क्या वे अभी भी इसे पढ़ने के लिए बाध्य हैं?

राष्ट्रपति या राज्यपाल विधायिका के समक्ष अभिभाषण देने के संवैधानिक कर्त्तव्य को निभाने से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे हालात हो सकते हैं जब वे सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण के पाठ से असहमत हो सकते हैं। अब तक, राष्ट्रपति द्वारा ऐसा किये जाने का कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन एक ऐसा अवसर आया था जब एक राज्यपाल ने संबोधन के एक हिस्से को विधानसभा में नहीं पढ़ा 1969 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धर्म वीरा ने संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण के दो प्रकरण को छोड़ दिया था।

सरकार मुख्यमंत्री ज्योति कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में थी, ज्योति बसु डिप्टी सीएम थे। कांग्रेस शासित केंद्र सरकार द्वारा पहले संयुक्त मोर्चा सरकार को बर्खास्त करने को असंवैधानिक बताया गया। इस मुद्दे पर संसद में बहस हुई थी। विपक्ष राज्यपाल के आचरण के बारे में आलोचनात्मक था और उनके कार्यों की अस्वीकृति और उन्हें संविधान के पत्र और भावना के विरुद्ध बताते हुए स्थानांतरित किया गया। ट्रेजरी बेंच के सांसद अशोक कुमार सेन, कानून मंत्री गोविंदा मेनन और गृह मंत्री वाई.बी. चव्हाण सहित राज्यपाल के बचाव में आए। विपक्ष के प्रस्ताव को अंततः नकार दिया गया।

वर्षों से अभिभाषण पर सदस्यों ने कैसे प्रतिक्रिया दी है?

संबोधन के दौरान विधायकों का आचरण कभी-कभी एक मुद्दा रहा है। राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल के

भाषण को नियमित रूप से बाधित किया गया है। उदाहरण के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल राम नाईक पर कागज के गोले फेंके गए। विधानसभा के कर्मचारियों को स्पीकर को घेरना पड़ा और कार्डबोर्ड फाइलों का उपयोग करके कागज के गोले को दूर करना पड़ा।

संसद में राष्ट्रपति के भाषण में रुकावट का पहला उदाहरण 1963 में सामने आया था, जहाँ राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भाषण के दौरान कुछ सांसदों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था। लोकसभा ने इस घटना पर ध्यान दिया और सांसदों को फटकार लगाई गई। वर्षों से राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को मानने का संकल्प लिया है और इसे बाधित नहीं करने पर सहमत हुए हैं।

क्या प्रक्रियाएँ अभिभाषण का पालन करती है?

राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अभिभाषण देने के बाद न केवल अभिभाषण के वस्तु पर बल्कि देश में शासन के व्यापक मुद्दों पर भी बहस होती है। इसके बाद बजट पर चर्चा का मार्ग प्रशस्त होता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद-87 में राष्ट्रपति के विशेष भाषण का उल्लेख किया गया है।
2. राष्ट्रपति का यह संबोधन प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में लोकसभा में दिया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. In the context of the President's special address, consider the following statements:

1. Article-87 mentions the President's special speech.
2. This address of the President is given in the Lok Sabha at the beginning of the first session of each year.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) None of these

नोट : 30 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'बजट सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों का वर्णन मात्र है इसको लेकर राष्ट्रपति की अंतर्रात्मा का कोई मूल्य नहीं है।' क्या ऐसा एक लोकतांत्रिक गणराज्य में उचित माना जा सकता है? टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

"The President's address in the budget session is merely a description of the policies of the government, there is no value of the President's conscience." Can this be considered appropriate in a democratic republic? Please comment (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।